कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
गंगा पम्प नहर प्रमंडल, कहलगॉव (भागलपुर)

(E-mail :- ee88kahalgaon@gmail.com)

पत्रांकः–........./ कहलगॉव दिनांकः– ..../07/2026

अति अल्पकालीन निलामी सूचना सं0– 04/2026–2027

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के पत्रांक 2115 दिनांक 02.07.2026 के निदेश एवं बिहार वित्त नियमावली के नियम 143 (1)(ख) के आलोक में गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, कहलगॉव प्रमंडलान्तर्गत सिंचाई शिविर कहलगॉव अन्तर्गत ध्वस्त करने योग्य भवनों को सार्वजनिक निलामी किया जाना है।

इन अवशेषों का मुल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर सामूहिक नीलामी "जैसे है उसी स्वरूप में" के आधार पर दिनांक 13.08.2026 को 3:30 बजे अपराह्न में गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, कहलगॉव के कार्यालय कक्ष में की जाएगी।

जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:–

क्र0 स0	प्रमंडलाधीन/ अवर प्रमंडलाधीन अवस्थित आवास का नाम एवं संख्या	ग्रुप सं0	निलामी की न्यूनतम बोली (रूपये में)	सुरक्षित जमा राशि (रूपये में)	निलामी की तिथि
1	2	3	4	5	6
01	गंगा पम्प नहर प्रमंडल कहलगॉव अन्तर्गत आवासीय (सी–टाईप)	ग्रुप सं0–1	4,94,539.00	99,000.00	13.08.2026
02	गंगा पम्प नहर प्रमंडल कहलगॉव अन्तर्गत आवासीय (ई–टाईप) भवन सं0–02	ग्रुप सं0–2	2,96,631.00	59,400.00	13.08.2026

नीलामी की शर्तेः–

1. इच्छुक फर्म/आवेदक दिनांक 23.07.2026 से दिनांक 12.08.2026 तक कार्यालय अवधि में (रविवार एवं अन्य सरकारी छुट्टियों को छोड़कर) सूचना पट्ट पर प्रदर्शित अनुपयोगी ध्वस्त करने योग्य भवनों की सूची देख सकते है।
2. अनुपयोगी ध्वस्त करने योग्य भवन जो भी है, जैसे भी है, के आधार पर निलामी सम्पन्न होगी।
3. न्यूनतम निर्धारित बोली से कम की बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी।
4. नीलामी कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, कहलगॉव के कार्यालय कक्ष में खुली डाक से दिनांक 13.08.2026 के अपराह्न 3:30 बजे की जायेगी।
5. इच्छुक फर्म / आवेदक दिनांक 12.08.2026 के अपराह्न 3:00 बजे तक अपने आवेदन के साथ अग्रधन के रूप में बैंक ड्राफ्ट/ डिमांड ड्राफ्ट जो कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, कहलगॉव (Executive engineer, Ganga Pump Canal Division, Kahalgaon) Payble at Bhagalpur के नाम से भुगतेय हो, को जमा करना होगा। उस के बाद ही उन्हें दिनाक 13.08.2026 को नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने दिया जायेगा।
6. निलामी में भाग लेने वाले आवेदक/फार्म को बोली जमानत राशि (अग्रधन) के साथ आधार कार्ड/ आयकर प्रमाण पत्र (पैन कार्ड), जी0एस0टी0 एवं घोषणा पत्र परिशिष्ट के अनुसार (Affidavit) के रूप में आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. निलामी में सफल बोलीकर्त्ता को बोली मूल्य का 25 प्रतिशत राशि सफल होने की घोषणा के साथ ही नगद या डिमाण्ड ड्राफ द्वारा जमा करना होगा जो कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल, कहलगॉव के पदनाम से देय होगा।

Scanned with OKEN Scanner

8. नीलामी में सफल बोली कर्त्ता को नीलामी की शेष राशि बैंक ड्राफ्ट/ डिमांड ड्राफ्ट के रूप में अगले तीन दिनों के अंदर कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, कहलगाँव में जमा करना होगा। तत्पश्चात् अधोहस्ताक्षरी द्वारा विमुक्ति आदेश निर्गत किया जायेगा। उक्त अवधि के अन्तर्गत नीलामी राशि जमा नहीं करने पर अग्रधन एवं व्याना राशि जब्त कर ली जायेगी।

9. नीलामी में सफल बोलीकर्त्ता को सामाग्री की ढुलाई अपने खर्च पर करनी होगी किसी प्रकार का अतिरिक्त ढुलाई खर्च देय नहीं होगा।

10. सफल बोलीदाता को अपनी लागत और जिम्मेदारी पर 01 महीना के अन्दर सामग्रियों का उठाव अपने खर्च पर कर लेना होगा। विलम्ब की स्थिति में प्रतिदिन के हिसाब से रू0 1,000.00(एक हजार) रूपये दण्ड किराया देना होगा।

11. नीलामी में सफल बोलीकर्त्ता को विभागीय नियमानुकूल सभी देय करों का भुगतान करना होगा।

12. उच्चतम बोलीदाता द्वारा उच्चतम बोली का 18% GST अतिरिक्त देना होगा।

13. भवनो को ध्वस्त करते समय CPWD सुरक्षा मानकों का पालन किया जायेगा।

14. बिना कारण बताये किसी भी समय निलामी की प्रक्रिया रोकने/रद्द करने एवं अस्वीकार करने का निर्णय अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा तथा उनका निर्णय अंतिम होगा।

15. विलम्ब आमंत्रण अर्थात निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली पर विचार नहीं किया जायेगा।

16. नीलामी के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं अवलोकन हेतु कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, कहलगाँव के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

17. नीलामी की प्रक्रिया में जल संसाधन विभाग या इससे संलग्न/ अधीनस्थ किसी भी कार्यालय के सरकारी पदाधिकारी/ कर्मी भाग नहीं लेगें।

18. नीलामी में असफल प्रतिभागी को नीलामी के 07 दिन के बाद सुरक्षित कुल जमा राशि वापस कर दी जायेगी।

19. निलामी के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्यालय अवधि में दूरभाष संख्या 7463889289 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह0/–

(ई0 बिमलेन्द्र कुमार)
आई0डी0न0– 5414
कार्यपालक अभियंता,
गंगा पम्प नहर प्रमंडल, कहलगॉव।

पत्रांक:–1137/ कहलगॉव दिनांक:– 23/07/2026

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना एवं प्रभारी आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं दो हिन्दी सामाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।
अनु0:– साफ्टकॉपी एवं हार्डकापी।

(ई0 बिमलेन्द्र कुमार)
आई0डी0न0– 5414
कार्यपालक अभियंता,
गंगा पम्प नहर प्रमंडल, कहलगॉव।

Scanned with OKEN Scanner

घोषणा पत्र

1. मैं..शपथ पूर्वक घोषित करता हूँ कि मैं जल संसाधन विभाग के किसी भी कार्यालय का सरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी नहीं हूँ।
2. मैं घोषित करता हूँ कि मैं किसी भी वाद में सजायाफ्ता नही हूँ एवं मेरे उपर कोई प्राथमिकी दर्ज नही हैं।
3. मैं निलामी के सभी नियमों एवं शर्तों को पूर्ण करता हूँ। यदि मैं निलामी में सफल होता हूँ तो 03 (तीन) दिनों के अंदर बोली की संपूर्ण राशि जमा कर परिसर से निलामी की सामग्रियों का उठाव बिना किसी प्रकार के नुकसान के साफ–सुथरे तरीके से कर लूँगा।
4. यह कि मेरा कथन सत्य एवं सही है तथा किसी प्रकार की अनियमियता पाए जाने पर मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

Scanned with OKEN Scanner